ing, indentifying and taking up entitlement problems faced by the rural poor as well as urban entitlements.

(d) The provision for the year 1983-84 is Rs. 55.59 lakhs.

(e) No, Sir.

Post-Graduates in Employment Exchanges

1442. SHRIMATI MAIMOONA SULTAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of graduates and post-graduates in Delhi who have been registered with the employment exchanges for the last three years without any employment opportunities having been offered to them; and

(b) the number of such persons who have meanwhile become age-barred for purposes of employment in Government jobs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMA VIR): (a) The number of graduates and post-graduates who are on the Live Register of Employment Exchanges in Delhi without having been sponsored to any employer during the last three years or more is given below:

Graduates	—	2089
Post-graduates	—	543

(b) Age requirements differ from department to department and from sector to sector. Therefore, it is not possible to indicate a specific number of age-barred persons.

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, दिल्ली में आयुक्त के पद पर पदोन्नति

1443. **श्री नत्था सिंह :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अंतर्गत ग्रेड-II अथवा वरिष्ठ ग्रेड-III आयुक्त को ही क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, दिल्ली में आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत कनिष्ठ ग्रेड-III आयुक्त को उपयुक्त कार्यालय मे आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली का वर्तमान आयुक्त पिछले 15 वर्षों से दिल्ली या फरीदाबाद में 40 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर ही कार्य करता रहा है ;

(घ) सरकार वर्तमान कनिष्ठ ग्रेड आयुक्त के स्थान पर ग्रेड-II अथवा वरिष्ठ ग्रेड-III का आयुक्त कब तक नियुक्त करने का विचार रखती है ; और

(ङ) वर्तमान आयुक्त का दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय से तबादला कब तक किए जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने निम्नलिखित बताया है :—

(क) संगठनात्मक ढांचे के पदानुक्रम में, दिल्ली में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद श्रेणी- II स्तर का है।

(ख) समग्र रूप में, संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों की नियुक्तियां की जाती हैं ;

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सितम्बर, 1981 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के रूप में नियुक्त किए जाने पर, वर्तमान पदधारी का अभी तबादला नहीं किया जाना है।